बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि २१ मार्च, १९६० को ११ बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ ।

आय-व्ययक : अनुदानों की मांगों पर मतदान : सामान्य प्रशासन ।

BUDGET ; VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS : GENERAL ADMINISTRATION

श्री केदार पांडेय—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान की दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्त्ति के लिये ३,२३,५९,४०० रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

इस मांग के सिलसिले में मैं चंद बातें सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। सामान्य प्रशासन एक ऐसा विभाग है जिसका असर सरकार की कारवाइयों पर पड़ता है। सरकार की जितनी ऐक्टीव्हिटीज हैं स्टेट के अन्दर सभी इन्फ्लूएन्स्ड होती हैं, कंट्रोल होती है जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से। इसके ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के प्रायः सभी ऐक्टीव्हिटीज में एक्जीक्युटिव्ह का काम करते हैं। इसलिये अगर यह कहा जाय कि जिस तरह से सोलर सिस्टम में सन् (सूर्य्य) का स्थान है उसी तरह से जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का स्थान आजकल के ऐडमिनिस्ट्रेशन में है। तो कोई अत्युक्ति न होगी।

आजकल के जमाने में जितनी तरह की एक्टीव्हिटीज हैं उन पर एडमिनिस्ट्रेशन का असर पड़ता है और इसलिये यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इस लोक-कल्याणकारी युग में यह बात है कि लोगों के कल्याण के लिये जितनी चीजें हैं उनका विकेन्द्रीयकरण किया जाय। सभी चीजो का विकेन्द्रीयकरण किया जाय, यह ठीक भी है और इसलिये इसकी तरफ सरकार की अनुकूल नीति है। अंग्रेजी हुकूमत में सिर्फ सबडिवीजनल लेवेल पर ही ऐडमिनिस्ट्रेशन था और उसके नीचे नहीं था और इस तरह से ऐडमिनिस्ट्रेशन में जितना कनटैक्ट लोगों के साथ होना चाहिये था उतना नहीं था। आजादी के बाद जो हकूमत बनी उसमें यह समझा गया कि सबसे पहला काम यह होना चाहिये कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का विकेन्द्रीयकरण किया जाय जिसमें लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा सम्पर्क बढ़े और हम लोगों के पास पहुंच सके। इसी से ब्लौक ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात सोची गयी और ब्लॉक भी खुले। इस राज्य के अन्दर ५७५ ब्लौक खुलनेवाले

अध्यक्ष—इस दृष्टिकोण से तो सब कुछ कह सकते हैं।

श्री रामचरित्र सिंह—जी हां। हर डिपार्टमेंट और हर मिनिस्टर के बारे में इसपर कहा जा सकता है।

कटौती प्रस्ताव : सामान्य प्रशासन की नीति।

CUT-MOTION GENERAL ADMINISTRATION OF THE STATE.

Shri RAMAKANT JHA : Sir, I beg to move—

That the item of Rs. 1,62,000 for "Ministers" be omitted in order to discuss the General Administration of the State.

अध्यक्ष महोदय, अपनी मांग को पेश करते हुए माननीय उप-मंत्री महोदय ने जितनी बातें सदन में कहा हैं उन्हें मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। उन्होंने एक बात जो सदन के सामने रखी है, वह बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा है कि पवित्र और सुयोग्य प्रशासन तभी हो सकता है जब डेमोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी में सामन्जस्य स्थापित किया जाय। जबतक डेमोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी में सामंजस्य स्थापित नहीं हो जाता तबतक पवित्र और सुयोग्य प्रशासन नहीं हो सकता है। लेकिन पवित्र और सुयोग्य प्रशासन के लिए एक बात का होना बहुत आवश्यक है और हम उम्मीद करते थे कि हमारे उप-मंत्रीजी उसकी ओर इशारा करेंगे लेकिन उन्होंने उन बातों को नहीं कहना उचित और अच्छा समझा। सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि हमारे मंत्री और उप-मंत्री को इमानदार और सुयोग्य होना चाहिए। हमारे स्टेट में जो कैबिनेट का संगठन है उससे सुयोग्य और इमानदार लोग नहीं हैं जिस कारण प्रशासन अच्छी तरह नहीं होता है और जबतक सुयोग्य और इमानदार आदमी इसमें नहीं रहेंगे तबतक प्रशासन कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि कैबिनेट का संगठन इस तरह होना चाहिए जिसमें काम करने में सुविधा हो। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मंत्रीमंडल का संगठन अच्छे ढंग से नहीं हुआ है। उसका संगठन सच्चाई और इमानदारी के साथ नहीं हुआ है इसीलिए आपका प्रशासन पवित्र और सुयोग्य नहीं हो रहा है।

तीसरी चीज जो ध्यान देने की चीज है वह यह है कि गवर्नमेंट चलाने के दो विंग होते हैं। एक गवर्नमेंट की पॉलिसी निर्धारित करता है और दूसरा जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसको एक्जिक्यूट करता है। यदि पौलिटिकल विंग की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन विंग में इन्टरफियर होता रहेगा तो काम नहीं चलेगा। पवित्र और शुद्ध प्रशासन नहीं चल सकता है।

चौथी बात यह है कि जिस पार्टी के लोग सरकार में हों उनको चाहिए कि सरकार के कार्य को आगे बढ़ावें। पार्टी की मशीनरी और गवर्नमेंट चलानेवालों की मशीनरी दोनों अलग-अलग होकर काम करें। पार्टी मशीनरी को चाहिए कि गवर्नमेंट चलानेवालों की मदद करें। उसमें रूकावट नहीं डालें। ये चारों बातें आधारभूत बातें हैं। जबतक इन बातों को कार्यरूप में नहीं लायेंगे तबतक मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट का प्रशासन पवित्र और सुयोग्य नहीं हो सकता है। जिन चारों सिद्धान्तों को मैंने रखा है उनको एक-एक करके

लूंगा। मैं दिखाऊंगा कि बिहार की सरकार इन चारों सिद्धान्तों को किस तरह कार्यरूप में परिणत करने की कोशिश करती है। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर बहुत करप्ट हैं।

श्री शकूर अहमद—मेरा प्वायन्ट आफ आॅर्डर है। माननीय सदस्य ने कहा है कि बहुत मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर करप्ट हैं तो क्या वे ऐसा कह सकते हैं?

अध्यक्ष—नहीं कह सकते हैं। आप इसको वापस ले लीजिए। ऐसा आप कहने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव मिनिस्टर पर ला सकते हैं।

श्री रमाकान्त झा—मुझे ऐसा कहने का अधिकार है। मैं साबित कर सकता हूं।

अध्यक्ष—नहीं, नहीं। आप नहीं कह सकते हैं। आप अविश्वास का प्रस्ताव लावें।

श्री रमाकान्त झा—मैं कह सकता हूं। ये सच्ची बातें हैं। आप चाहें तो इसको एक्सपन्ज कर सकते हैं।

अध्यक्ष—अब बात साफ हो गयी और लोग भी इधर के उठकर कहेंगे कि श्री रमाकान्त झा करप्ट हैं। यह हमारे हाउस की परिपाटी रहेगी।

श्री भोला पासवान—मेरा प्वायंट आफ आॅर्डर है। माननीय सदस्य आपके कहने के बाद भी कि आप वापस ले लीजिए, कहते हैं कि मैं वापस नहीं लूंगा, आप एक्सपंज कर दीजिए। उनको उठा लेना चाहिए। यह हाउस की मर्यादा के विरूद्ध है। यदि मिनिस्टर करप्ट हैं तो मेम्बर भी करप्ट हो सकते हैं।

श्री रमाकान्त झा—मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा है कि आप चाहें तो एक्सपंज कर सकते हैं। फिर भी आप कहते हैं तो मैं वापस ले लेता हूं।

अब मैं यह कहता हूं कि हमारे ऐसे भी मिनिस्टर हैं जो बहुत अयोग्य हैं। जो अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। इस राज्य में इसी कारण करप्शन है और प्रशासन के काम में बाधा पहुंचती है। मैं कहना चाहता हूं कि कैबिनेट का संगठन जो हुआ उसमें इस बात की कोशिश की जाती कि एक मिनिस्टर के पास बहुत से इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियों न दे दी जाय। हमारे चीफ मिनिस्टर के पास बहुत से महत्वपूर्ण पोर्टफ़ोलियो हैं। हिन्दुस्तान के किसी भी चीफ मिनिस्टर के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन इनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है। नतीजा यह होता है कि वे किसी पोर्टफोलियों के साथ जस्टिस नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि बिहार कैबिनेट में पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन गलत ढंग से हुआ है।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जबतक बिहार कैबिनेट में रिशफलिंग और रिआरगेनाइजेशन नहीं होता है तब तक बिहार के लोगों का उद्धार नहीं होनेवाला है। इनके पार्टी में ऐसे लोग हैं जो इमानदारी के साथ काम कर सकते हैं जो एफिसेन्सी के साथ काम कर सकते हैं।

अध्यक्ष—फिर आपने इमानदारी शब्द का इस्तेमाल किया।

श्री रमाकान्त झा—मैं इसे वापस लेता हूं। आप जानते हैं कि मंत्री का काम है पॉलिसी निर्धारित करनी और अफसरों का काम है उस पॉलिसी को कार्यरूप में परिणत करना। लेकिन हमारे मंत्री और उप-मंत्री लोग हर दिन अफसरों के काम में हस्तक्षेप करते हैं। आप जिस विभाग को देखें हर जगह ये लोग अपने-अपने आदमियों को रखते हैं और जो चाहते हैं उनसे कराते हैं और यदि इनके अपने लोग कितना भी अत्याचार क्यों न करें उनको कोई छू नहीं सकता क्योंकि उनको मंत्री तथा उप-मंत्री का सपोर्ट रहता है। मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। श्री कैलाश सिंह, जो दरभंगा में ऐक्टिंग एक्जिक्युटिव इंजीनियर थे और अब पी० डब्ल्यू० डी० के एस०-डी०-ओ० हैं उनका रेकर्ड बिल्कुल खराब है लेकिन हमारे बार-बार प्रश्न पूछने पर भी कोई जबाव नहीं मिलता है। उनकी १५ साल की सर्विस है और वे अधिक दिनों तक दरभंगा ही में रहे हैं। वे सीना तान कर दरभंगा में चलते हैं और बोलते हैं कि कोई कितनी भी हमारी शिकायत क्यों न करे हमारा कुछ नहीं बिगड़नेवाला है। गवर्नमेंट सरवेन्ट कंडक्ट रूल्स के अनुसार किसी सरकारी नौकर को यह अधिकार नहीं है कि उसके ऊपर लगाये गये आरोपों की सफाई, बिना सरकार के हुक्म लिये, अखबार में प्रकाशित करे। लेकिन इस आदमी ने तीन वार अखबारों में अपनी सफाई छपवाई है और मंत्री तथा उप-मंत्री दोनों लोकल पेपर्स लेते हैं, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगा। मैं अच्छा तरह जानता हूं कि श्री कैलास सिंह ने इसके लिये सरकार की अनुमति नहीं ली थी।

मधुबनी थाने में एक गांव है जिसका नाम है संकोच और वहां के रिप्रेजेन्टेटिव इस सभा के सदस्य भी हैं। १९५९ में वहां जमीन लेकर कुछ झगड़े हुए।

एक सदस्य—वह केस अभी सबजुडिस है।

श्री रमाकान्त झा—जो चीज मैं कह रहा हूं वह सबजुडिस नहीं है। अध्यक्ष महोदय, १९ तारीख को दो दलों के वीच झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद २० तारीख को मधुबनी पुलिस के जगदीश नारायण सिंह, जो छोटा दारागा हैं (जुनियर सब-इंसपेक्टर) वे वहां पर गये और उन्होंने हर एक घर का ताला तोड़ा, हरएक घर में पैठकर गल्ले निकाला। करीब एक सौ घर के गल्ले निकाल गये। पेटी के अन्दर से रुपये निकाले गये और जो वहां पर था उसको कोड़े लगाये गये।

अध्यक्ष—इसपर कोई मुकदमा नहीं है?

श्री रमाकान्त झा—जी नहीं। इसपर कोई मुकदमा नहीं है। मुझको लोगों ने बुलाया। मैं संकोच गांव में गया १ दिसम्बर को। आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि गांव के अन्दर लोग थे लेकिन एकदम सुनसान था। मैंने इन्क्वायरी की और दिनांक १ दिसम्बर को टेलिग्राम भेजा मुख्य मंत्री को, एस० डी० ओ० को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और दूसरी तारीख को मैंने इन सारी चीजों से परिचित कराया मुख्य मंत्री को, एस० डी० ओ० को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और मुख्य मंत्री की ओर से जवाब मिला—"They are receiving attention"—टेलिग्राम और लेटर दोनों का जिक्र था।

श्रीमती प्रभावती गुप्ता—में प्वायंट आफ आर्डर पर बोल रही हूं। मुझको पूरी जानकारी है कि माननीय सदस्य श्री रमाकान्त झा जिस वाक्या का जिक्र कर रहे हैं वह सबजुडिस है। केस में वह खुद पार्टी हैं। जबतक केस का फैसला नहीं हो जाय उनको इन सब बातों का जिक्र नहीं करना चाहिये।

श्री रमाकान्त झा—पुलिस की लूट के बारे में जो चर्चा करता हूं उसपर केस नहीं है। लैंड डिसप्यूट के बारे में केस हो सकता है। लेकिन जिन बातों की चर्चा में कर रहा हूं उस पर कोई केस नहीं है। इसके मुतल्लिक कोई केस नहीं है।

Shrimati PRABHAWATI GUPTA : You are a party in the case.

श्री रमाकान्त झा—इसके बारे में मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। हमने पुलिस के जुल्म के बारे में जो चिट्ठी-पत्री की है वह हमारे पास है।

अध्यक्ष—आप वहां कैसे गये ?

श्री रमाकात झा—मुझको लोगों ने बुलाया और मैं वहां गया और पूरी जांच की।

अध्यक्ष—यह नियम बना दिया गया है कि जो चिट्ठी-पत्री कोई सदस्य मंत्री से करें वह यहां नहीं आवे क्योंकि अगर उसके बारे में कोई बात वे यहां करें और दूसरे मेम्बर कहें कि वे झूठ बोलते हैं तो एक अजीब परिस्थिति पैदा हो जायेगी ऐसी परिस्थिति को नहीं आने देने के लिये यही अच्छा है कि उसका जिक्र नहीं किया जाय।

श्री रमाकान्त झा—मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हू कि पुलिस ने क्या जुल्म किया क्योंकि मैं वहां गया था लोगों के बुलाने पर और मैंने जांच की थी।

अध्यक्ष—लैंड डिसप्यूट है वहां ?

श्री रमाकान्त झा—हां।

अध्यक्ष—तो उसके बारे में क्यों जिक्र कर रहे हैं ?

श्री रमाकान्त झा—मैं उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूं, पुलिस ने जो जुल्म किया उसके बारे में जिक्र कर रहा हूं।

श्रीमती प्रभावती गुप्ता—मेरा कहना है कि जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वह लैंड डिसप्यूट के अन्दर आता है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा—आप गयी हैं वहां ?

श्रीमती प्रभवती गुप्ता—हां, मैं वहां गयी हूं।

श्री मकबूल अहमद—अफसोस की बात है कि श्री रमाकान्त झा खुद उसमें पार्टी हैं।

श्री रमाकान्त झा—अध्यक्ष महोदय यह केस सबजुडिस नहीं है।

Shri RAM CHARITRA SINHA : When a member says that the matter is not *sub judice* while a lady member says that the matter is *sub judice*, may I ask the lady member, who does not belong to that district, how she has got this information ?

Shri MAQBOOL AHMAD : I may inform you, Sir, that the lady member has got her *jot* lands and her house in the same district and the dispute directly relates to her.

Shri RAM CHARITRA SINHA : Let the lady member say that.

Shri MAQBOOL AHMAD : She has said that.

Shri RAM CHARITRA SINHA : Let her say so ; I as a member of the House have got a right to know as to how she has got the information.

श्री रामानन्द तिवारी—माननीय मकबूल साहब कैसे जानते हैं कि उनका घर वहां है और खेत हैं ?

श्री प्रभावती गुप्ता—मेरा उस जिले से गहरा संबंध है और मेरा घर भी वहां है। मैं सारी बातों को अच्छी तरह जानती हूं।

Shri RAMANAND SINGH : Mr. Speaker, Shri Ramakant Jha has made a statement and the lady member who has disputed it is certainly the person on whom the onus of proof lies. She has, however, failed to prove that the statement which Shri Ramakant Jha has made is false.

श्री रामाकान्त झा—अध्यक्ष महोदय, अगर सबजुडिस था तो मैंने जो सवाल किया इस संबंध में उस पर सरकार का जवाब कैसे मिला ? तो मैं कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि यह मामला सबजुडिस नहीं है। श्री जगदीश नारायण सिंह..........

अध्यक्ष—शांति। इसके बारे में श्रीमती प्रभावती गुप्ता हाउस को सैटिस्फाई करें।

विरोधी बेंचों के सदस्य—हां।

श्रीमती प्रभावती गुप्ता—मधुबनी थाना के संकोच गांव में जमीन की बात को लेकर दो पार्टियों के बीच झगड़ा हो गया और उस संबंध में केस चल रहा है। पुलिस भी पार्टी है जहां तक मेरी जानकारी है और मैं सरकार से कहूंगी कि सरकार इसकी जांच कराये।

Shri RAM CHARITRA SINHA : You must be interested in the case.

श्रीमती प्रभावती गुप्ता—मैं पार्टी नहीं हूं।

Shri RAM CHARITRA SINHA : Then you must be interested in the man ? This is no explanation. The House cannot feel satisfied with this explanation.

श्रीमती प्रभावती गुप्ता—मैं भी कहूंगी कि माननीय सदस्य भी इंट्रेस्टेड हो सकते हैं।

श्री रामानन्द सिंह—आप नाम नहीं जानती हैं पार्टी का। I want to know the name of the party.

श्री फिदा हुसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं अभी देखता हूं कि दो सदस्य यहां पर बोलने के लिये खड़े हुए हैं। एक का कहना है कि केस सबजुडिस है और दूसरे का कहना है कि नहीं है। जब तक मुद्दई और मुद्दालह का नाम नहीं बतलाया जाता है तब तक कैसे यह कहा जा सकता है कि केस सबजुडिस है। जब तक यह नहीं बतलाया जाता है तब तक इस पर कुछ कहना, हमारे जानते, इस हाउस का समय बेकार खर्च करना है।

अध्यक्ष—मैं माननीय उप-मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यह केस सबजुडिस है या नहीं ?

श्री केदार पांडेय—यह केस सबजुडिस है कि नहीं इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है।

श्री मकबूल अहमद—मैं यह कहना चाहता हूं कि जो फैक्टस हमारे दोस्त यहां पर पेश कर रहे हैं वे डाइरेक्टली किसी केस में इसू है और ऐसी हालत में उस केस के बारे में किसी तरह की बहस हाउस में नहीं होनी चाहिये जिसका लिमिटेशन और स्कोप हमलोगों को मालूम नहीं है।

अध्यक्ष—तब तो यह केस सबजुडिस है या नहीं इसको बतलाने की जवाबदेही हमारे माननीय वक्ता पर आ जाता है। इसलिये मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि यह फैक्टस उस केस में हैं या नहीं ?

Shri RAMANAND SINGH : He denies it. On the other hand the lady member should prove that these facts are issues in the case and the case is *sub judice.*

Shri RAM CHARITRA SINHA : As far as I have heard the hon'ble member these matters are not involved in that case, and you should try to know from the hon'ble member whether these matters are part of the case or not.

श्री रामानंद तिवारी—अध्यक्ष महोदय, अगर कोई सदस्य इस सदन के सामने उठ कर यह कह दे कि यह मैटर सबजुडिस है तब तो किसी भी चीज पर डिवेट नहीं हो सकती है। केस होने पर भी आपने कामरोको प्रस्ताव के रूप में पटना पुलिस फायरिंग और सीतामढी रायट पर बोलने दिया है। इसके बारे में तो माननीय सदस्या का सिर्फ अनुमान है, वे न मुदई का नाम लेती हैं और न मुद्दालह का नाम ही बतला सकती हैं। जब वे पार्टी का नाम तक नहीं बतला सकती हैं तब कैसे यह माना जा

सकता है कि यह केस सबजुडिस है। माननीय उप-मंत्री ने स्पष्टरूप से कह दिया कि यह केस सबजुडिस है या नहीं, इसकी जानकारी सरकार को नहीं है और ऐसी हालत में माननीय सदस्य को इस पर बोलने के लिये मौका मिलना चाहिये। अगर इस तरह से डिबेट को सबजुडिस के नाम पर रोक दिया जायेगा तब तो किसी भी मैटर पर कोई सदस्य उठ कर कह देगा कि यह सबजुडिस है और इस तरह से किसी भी चीज पर बहस न हो सकती है।

Shri ABDUL GHAFOOR: The question before the House is whether this matter is *subjudice* or not. It is a simple matter. It has been said that there was a land dispute in that village. He has also said that the police went there and started looting and did such other things. The police must have gone there after the matter was entrusted to it for investigation. If that is the case, it must be presumed to be *sub judice* and she is entitled to say that this matter cannot be discussed here. But if the police had gone there, and the action of the police was independent of the case, then the hon'ble member is entitled to say whatever he likes. Let the hon'ble member say whether the police went there in connection with the land dispute case to make searches, or the police went there in any other case.

Shri RAMANAND SINGH: He is arguing on mere presumption, and no argument can be made on mere presumption.

SPEAKER: I have to decide the point of order. One lady member says that a land dispute case is pending in a Court of law and the other hon'ble member says that there is no such case. I have no satisfactory evidence on which I can decide the issue. In the absence of any reliable data what should I decide, I, therefore, leave it to the hon'ble member to make the statement as he thinks proper. I leave it to his good sense and later on if it is found that the matter is *sub judice*, it will be expunged from the proceedings. I expect hon'ble members to make such statements with full sense of responsibility.

श्री रमाकांत झा—मैं फुल रेस्पान्सिबिलीटी के साथ कह रहा हूं कि जो फैक्टस मैं यहां कह रहा हूं वह सब-जुडिस नहीं है। मधुवनी की सड़क पर वह आज भी सीना ताने हुए घूम रहा है। क्योंकि उसके पीछे केबिनेट के मंत्री और उप-मंत्री लोग हैं और उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि बंदूक की तलाशी लेने के लिये वे गये थे। लेकिन फैक्ट यह है कि बंदूक उसी दिन कोर्ट में जमा कर दिया गया था।

अध्यक्ष—जब वह बात कोर्ट में चली गयी तो आप उस पर नहीं बोल सकते हैं।

श्री रमाकांत झा—अध्यक्ष महोदय, बाबू बड़ही ब्लोक के बी० डी० ओ० भी मिनिस्टर की कृपा के पात्र हैं। २७/२८ तारीख को मैं उस ब्लोक में गया था और

वहां के बी० डी० ओ० को लिखकर दिया कि पंचरुखी का गनेशी मंडल भूख से मर रहा है। श्री शकूर अहमद से मुझे मालूम हुआ कि ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी में इस पर विचार हो रहा है। लेकिन उसके बारे में मुझे पता चला कि बी० डी० ओ० ने उसके अंगूठे का निशान लेकर एक स्टेटमेंट बना दिया कि उसकी हालत चिन्ताजनक नहीं है। बी० डी० ओ० उस गरीब आदमी को देखने के लिये गांव में नहीं गया और वह बेचारा मर गया। इतना ही नहीं, इसके संबंध में एक एडजोर्नमेंट मोशन भी मैंने दिया था जिसे आपने नामन्जूर कर दिया और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को मिनिस्टर महोदय ने मंजूर नहीं किया। दरभंगा जिले के मधुवनी सबडिवीजन में इस तरह की भूखमरी अक्सर हो रही है लोग मौत के शिकार हो रहे हैं मगर सरकार की ओर से भूखमरी से बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पिछली बार हमने कहा था कि भूखमरी रोकने के लिये यदि अविलम्ब इन्तजाम नहीं किया जायगा तो बंगाल में १९४३ में जैसा अकाल हुआ था वैसा यहां भी होगा। आज लोग पत्ता खा-खा कर गुजर बसर कर रहे हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि लोगों को अब पत्ते भी खाने को नहीं मिलते। अध्यक्ष महोदय, स्टारवेशन डेथ रोकने के लिये अविलम्ब कार्रवाई होनी चाहिये जिसमें लोग भूख से नहीं मरे।

दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट मेशीनरी को पार्टी के काम में लिया जाता है और इसका ज्वलंत उदाहरण चम्पारण के सिक्टक थाने में मिलेगा। वहां कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिये उप-मंत्री महोदय ने वार-बार वहां जाकर सरकारी मेशीनरी को मिसयुज किया। मैं इस बात को जानता हूं कि अक्टूबर से दिसम्बर तक श्री केदार पांडे ने अनेकों बार वहां जाकर अपोजिट पार्टी के सदस्य को हराने के लिए गवर्नमेंटल मेशीनरी को काम में लाया। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट मेशीनरी को पार्टी परपस के लिये मिसयुज करने का और भी ज्वलंत उदाहरण मिलेगा। माननीय सदस्य श्री कपिल देव सिंह बड़हिया थाना से आये हैं। वहा के अंचलाधिकारी ने इन पर डिफामेशन केस लाने के लिये परमिशन मांगा मगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर ने उन्हें परमिशन नहीं दिया लेकिन मुख्य मंत्री महोदय ने इन दोनों उच्च-पदाधिकारियों की सिफारिश के खिलाफ उस अंचलाधिकारी को डिफामेशन सूट लाने के लिए ऑर्डर दिया। माननीय उप-मंत्री चाहते हैं कि डिमोक्रेटिक मशिनरी जो पोपुलर है और ब्यूरोक्रेटिक मेशीनरी में सामंजस्य रहे। बड़हिया थाने के पोपुलर रिप्रेजेन्टेटिव और ब्यूरोक्रेटिक मशिनरी के अंचलाधिकारी के बीच में आज किस तरह का फ्रिक्शन है कि वहां का सारा रेवन्यु और विकास का काम ठप पड़ गया है। जब यह कहा जाता है कि उस अंचलाधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाय तो उसकी बदली इसलिये नहीं होती है कि फिर केस में पैरवी कौन करेगा। अंचलाधिकारी का यही काम है कि लोगों को पैसा देकर गवाह तैयार करे।

डिमोक्रेटिक और ब्युरोक्रेटिक मशिनरी के अन्दर सामंजस्य के बारे में एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मुख्य मंत्री के भतीजा श्री उमाशंकर सिंह, जो कांग्रेस कमिटी के एक्टिव मेम्बर हैं और बिहार मंडल कांग्रेस कमिटी के एलेक्शन से मेम्बर हुए हैं वह मुंगेर कचहरी में ऑनररी मैजिस्ट्रेट का काम कर रहे हैं। इस तरह की बात सिर्फ बिहार राज्य में ही संभव है कि पार्टी के आदमी के हाथ पर जुडिशियल फंक्शन दिया जाता है, दूसरी जगह ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं एक दिन के लिए वे दो जगहों से दो भत्ते लेते हैं। वे मुंगेर कौपरेटिव बैंक के डायरेक्टर की हैसियत से और ऑनररी मैजिस्ट्रेट की हैसियत से एक ही दिन के लिए दोनों जगहों से भत्ते लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी और भी बहुत-सी बातें हैं जिनकी ओर मैं सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं।

अध्यक्ष—आप अब और कितना समय लेंगे ?

श्री रमाकांत झा—हुजूर, मुझे कहना तो बहुत कुछ है लेकिन आपकी मर्जी के मुताबिक चलना है। आप कहें तो मैं बोलूं नहीं तो बैठ जाऊं।

अध्यक्ष—आप दो चार पांच मिनट और बोल सकते हैं। बीच-बीच में कुछ समय आपका बरबाद हुआ है। इसलिये आप कुछ समय लेकर ४५ मिनट पूरा कर लें।

श्री रमाकान्त झा—अध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर में आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आपको मालूम है कि जहानाबाद सबडिवीजन के नोआवां ग्राम में जो कुर्था थाने में पड़ता है, १३, १४ फरवरी को मुखिया का चुनाव था। वहां श्री रामचरित्र यादव मुखिया हो गये। चुनाव के पहले से ही वहां के बैकवर्ड क्लास तथा हरिजन लोगों पर ज्यादती करने का षडयंत्र चल रहा था और उनपर ज्यादती की गई जिसका नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हुजूर, जितनी ज्यादती हुई, जितनी धांधली की गई वह सब डिप्टी मिनिस्टर तथा मिनिस्टर के परामर्श से हुई है।

अध्यक्ष—आप यह कैसे कह सकते हैं ?

श्री रमाकान्त झा—हुजूर, अगर मिनिस्टर लोगों की कृपा नहीं रहे तो यह सब कुछ नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, एकादशी मोची, नाथुन मोची, सीता मोची, राम प्रीत मोची तथा रामदेव महतो आदि बैकवर्ड तथा हरिजन लोगों पर अन्याय किया गया है। इन लोगों के बछड़े को खोल कर हांक दिया गया और फारवार्ड क्लास के लोगों ने ऐसा किया है। इस संबंध में दरखास्त दी गई तो आज कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है। मिनिस्टर साहब के पास दरखास्त दी गई है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास दरखास्त भेजी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सेन्ट्रल की बात तो मैं नहीं कहना चाहता हूं कि उन्होंने क्यों नहीं ऐक्शन लिया, लेकिन यहां की सरकार ने भी कोई ऐक्शन नहीं लिया है। आज तक बछड़ा बथान में बंधा है।

इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, कुछ मोची लोगों ने फारवार्ड क्लास के लोगों की जमीन की बंटाई में खेती की थी। लेकिन जब उनलोगों ने यादव को मुखिया के लिए वोट दिया तो उनको जमीन से बेदखल कर दिया गया है, जमीन में लगी खेसारी को काट लिया गया है और-और ज. फसल लगी हुई है उसे भी फारवार्ड क्लास के लोग काट ले गये। इस संबंध में भी सरकार के पास दरखास्त दी गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो अध्यक्ष महोदय, बैक्वर्ड, हरिजन तथा फारवार्ड में आज इस तरह की लड़ाई वहां हो रही है।

अध्यक्ष—सरकार इन्टरफियर करती है तो क्या यह अच्छा नहीं है ?

श्री रमाकान्त झा—हुजूर, सच्चाई के साथ न्याय के नाम पर अगर इन्टरफियर किया जाय तो झगड़ा का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन सरकार की ओर से जित इन्टरफियरेन्स होते हैं वे न्याय के साथ नहीं होते हैं।

अध्यक्ष—कोर्ट के सामने इन चीजों को साबित करें।

श्री रमाकान्त झा—हुजूर, गरीब हरिजन, लैंडलेस पिपुल के पास पैसे कहां हैं जो कोर्ट के सामने वे जांय।

अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें तमाम राज्य में बड़े पैमाने पर चल रही हैं और यह सब मिनिस्टर लोगों की राय से हो रही है। मैं अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये।

इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस बजट के वाद-विवाद पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था मगर कुछ विशेष कारण उपस्थित होने पर मैंने थोड़ा आपका समय लिया और आपकी दृष्टि पकड़ने की कोशिश की जिसका उल्लेख मैं अपने अभिभाषण में करूंगा। अध्यक्ष महोदय, कबल इसके कि मैं उस विषय को अर्ज करूं मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे बजट में २५ साल में जो तरक्की हुई है वह हमारे लिए ऐसा लगता है कि यह एक गौरव और प्रसन्नता की बात है। चार करोड़ से आज हम १३१ करोड़ रुपए के बजट पर वाद-विवाद कर रहे हैं। अगर इस अनुपात से सुख और समृद्धि की वृद्धि भी हुई होती तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात होती। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से आय और व्यय की वृद्धि हुई है उस हिसाब से आज दूध और शहद की नदियां बहती होती लेकिन बजट में इतने आय और व्यय की वृद्धि होने पर भी जनता में हाहाकार की वृद्धि हो रही है। इस पर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं।

सरकार के अर्थ शास्त्रियों के लिये यह एक सोचनीय प्रश्न चिन्ह है। हमारे सरकार के लोग कहते हैं कि बजट सरकार के कामों का आइना होता है लेकिन लोकशाही और नौकरशाही में जो अन्तर्विरोध चल रहा है उससे एक बहुत बड़ा तारतम्य मालूम होता है। इन बातों को मैं उन्हीं लोगों को सोचने के लिए छोड़ देता हूं।

दूसरा प्रश्न जो मैं रखना चाहता हूं वह है, आज ऐसा लगता है कि लोकशाही और नौकरशाही की शक्ति में एक अन्तर्विरोध की स्थिति पैदा हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से लोकशाही ने इस देश में अवतार लिया है उसी वक्त से नौकरशाही की शक्ति से एक संघर्ष जारी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आप इसके लिए क्षमा करेंगे लेकिन अब तो हमें ऐसा लगता है कि नौकरशाही पंज्य होती जा रही है, शक्तिशाली होती जा रही है और ऐसी स्थिति हो गई है कि जिस पर हमें मनन करना चाहिये, चिन्तन करना चाहिये नहीं तो लोकशाही के लिये एक बरछ चिन्ह नहीं माना जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि, यहां पर बहुत पुराने लोग भी हैं, १९३६–३७ की बात है, मुझे याद है, उस समय एक पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी का जो रोब नौकरशाही के ऊपर था, आज एक मिनिस्टर का भी नहीं है। थोड़ा-सा इस प्रश्न पर भी विचार करें। आपकी शक्ति में, आपके रोब में ह्रास हुआ है, आपके अनुशासन में कमी हुई है। इस कमी का कारण कहां पर है, इसे ढूंढ़ा जाय। मुझे ऐसा लगता है कि नौकरशाही के लोग समझते हैं कि वे युनिवर्सिटी के बेस्ट प्रोडक्ट हैं, सारी जिम्मेवारी, सच्चाई और ईमानदारी की क्षमता और अब तो सारी इशअक्ति उन्हीं के पल्ले है और जो बचा खुचा है वह मंत्रीमंडल की चीज और सदन के

सदस्यों की चीज है। यह एक ऐसी संस्था है जिसके सदस्य वे जिम्मेदार, गलत बोलनेवाले और अदेशभक्त हैं। नतीजा यह होता है कि हम यहां जो कहते हैं, लोकशाही के अन्तर्गत बजट स्पीच देने का जो सुअवसर हमलोगों को प्राप्त होता है वह व्यर्थ सिद्ध होता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। सरकार का यंत्र यांत्रिक ढंग से काम करता है, कट-मोशन भेजे जाते हैं, पैसा खर्च होता है, तार भेजे जाते हैं, पत्र दिए जाते हैं, सवाल उठाया जाता है, थोड़ी-सी चर्चा होती है फर्ज की अदायगी के लिये लेकिन उसमें कोई जान नहीं होती है, उससे कोई मतलब नहीं होती है, कोई सहानुभूति नहीं होती है उन मांगों पर, गलत तरीके से उत्तर मिलता है, अधरा उत्तर मिलता है और उसे सुन कर हमलोग अपने मुंह की बात मुंह में ही रखा लेते हैं।

अध्यक्ष—मेरा कहना है कि यह संभव नहीं है कि जितने कटौती प्रस्ताव आते हैं उनके बारे में, सबों के बारे में सभा में प्रस्ताव कर सकें, वाद-विवाद कर सकें और उत्तर पा सकें लेकिन कट-मोशन को बेकार नहीं समझना चाहिये, हरेक कट-मोशन पर विभाग को मंत्रियों का ध्यान जाना चाहिये और यह उनका धर्म होना चाहिए।

श्री रामानन्द तिवारी—लेकिन ऐसा होता नहीं है।

श्री रामचरित्र सिंह—धर्म होना चाहिए लेकिन धर्म होता नहीं है।

अध्यक्ष—मैं जो कह रहा हूं उसे सुनना चाहिए। हमारी बातों को लेकर माननीय सदस्य बोलने लगे। जो कट-मोशन नहीं आ सके, जिन पर वाद-विवाद नहीं हो सका वे वेस्ट पेपर बासकेट में फेंकने के लिये नहीं हैं, उसमें जनता का पैसा लगा है, सरकार का पैसा लगा है, हमलोगों के पसीने की कमाई का पैसा लगा है, इस पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना उन कट-मोशन पर जो यहां हैं। सबों के ऊपर माननीय मंत्रियों को ध्यान देना है और जो वाजिब कारवाई है उसको करना चाहिये और उस कारवाई के संबंध में माननीय सदस्य को, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिया हो, सूचना दे देनी चाहिये। इस तरह की परिपाटी यदि रखी जाय तो राघवेन्द्र बाबू को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह—किसी पर इल्जाम मैं नहीं डालना चाहता हूं, मैं केवल अपना विचार रख रहा हूं कि लोकशाही की समृद्धि के लिये, उसको स्वस्थ विकास के लिये जो कारवाई हो रही है, ठीक नहीं है। आप अपने मन से इस प्रश्न को पूछें, इसके उत्तर देने की जरूरत नहीं है, केवल अपने मन से पूछें और कारवाई करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि मुंगेर के एक स्कूल के नामकरण के संबंध में जो मैंने प्रश्न उठाया था वह इस बात का ज्वलन्त नमूना है कि किस तरह नौकरशाही मंत्र करती है तथा किस तरह सरकार के चलानेवाले मंत्री एवं उपमंत्री उनसे प्रभावित होते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस सदन में कुछ रोज पहले चर्चा के रूप में कुछ कहा जा रहा था, चर्चा का आधार था मेरा तारांकित प्रश्न। अनुग्रह नारायण माध्यमिक विद्यालय के नाम से उस स्कूल का नामकरण हुआ। उस राज्य महापुरुष को निधन के बाद ही इसका श्रीगणेश हुआ, दाताओं ने जमीन दे दी, मकान भी बन गया, कुछ समय तक चला और उसी नाम से, उसी नाम से चला।

के बाद उसका अपग्रेड कर दिया गया, उसके बाद एक हेडमास्टर आए, मैं हेडमास्टर का विशेष परिचय नहीं दूंगा।

मैंने उस पर प्रश्न भी इस सदन में किया था और उसका जवाब भी मिला, था जिसे दुहराकर सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। उस स्कूल का नाम बदल गया और उसको चलाने की कोशिश की गयी। चीफ मिनिस्टर मुंगेर गये थे और उन्होंने वहां कहा था कि यदि इस तरह की बात होगी तो वे मुंगेर जाना छोड़ देंगे, यह उनका बड़प्पन है। उसकी जांच हुई और वह एजुकेशन सुपरिटेंडेंट की फाईल में पड़ी हुई है, वहां मुहर का रबड़ बदला गया, रजिस्टर बदला गया। आज उस स्कूल का नाम रह गया और मुझे खुशी हुई कि वह चल रहा है। इस प्रकार नौकरशाही मंत्रियों और उपमंत्रियों को अपने गलत कामों से परेशान करती है। वह हेडमास्टर अभी ससपेंड है और देखना है कि उसको कुछ सजा मिलती है या उसे मुक्त कर दिया जाता है।

अब मैं दो चार शब्द अपने क्षेत्र के बारे में कहूंगा। हमारे थाने बेलहर में एक इंच भी सड़क पक्की नहीं हुई है जबकि दो प्लान बीत रहा है। इसे सौभाग्य कहा जाय या दुर्भाग्य, हमारे थाने से पी० डब्लू० डी० के उपमंत्री आते हैं। शायद वे सोचते होंगे कि इस तरह का काम करेंगे तो उनपर पक्षपात का इल्जाम लाया जायगा। मगर वाजिब काम करने में यदि दिल धड़के तो मैं इसे मोरल डेरिलिक्शन कहूंगा। वे इस भावना को शेक ऑफ करें। कम-से-कम सबडिविजनल हेडक्वार्टर से थाना तक पक्की सड़क जरूर बनवा दें।

हमारे इलाके में बड़वा डैम की एक बहुत बड़ी स्कीम चली लेकिन इसका रुपया सरेंडर होने जा रहा है। हमारा पैसा खर्च नहीं होता है और समय पर कोई काम नहीं होता है। इसके लिये किसी से पूछा जायगा और उसे सजा दी जायगी या नहीं यही प्रश्न है? हमलोग तो दिन-रात पोलिटिक्स में रहते ही हैं। लेकिन वहां के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर भी पौलिटिक्स में रहते हैं। वहां के ठीकेदारों के कैम्प में डिवीजन है। एक ठीकेदार किसी काम का एक नापी करता है तो दूसरा उसी काम का दूसरा नापी करता है। मैं सिंचाई उप-मंत्री से कहूंगा कि वे इसको देखें और जो व्यक्ति गैर-जिम्मेदारी के साथ काम करता हो उसे सजा दी जाय।

जमींदारी सरकार ने ले ली इसलिये उसका काम सरकार को करना चाहिये। जमींदार मालगुजारी वसूल करने के अलावे सैलावी का काम भी करते थे। इधर १० वर्षों में सरकार ने जितना पैसा इस काम पर खर्च किया है उतना सौ वर्ष में भी खर्च नहीं किया गया होगा। आज बांध तो रहता है लेकिन एक बलवान आदमी आता है और पानी को काटकर अपने दूर के खेत में ले जाता है लेकिन एक गरीब आदमी जिसका खेत बगल में रहता है उसको कुछ भी पानी नहीं मिल पाता है। हमारे यहां अहमारा बांध है जिससे १० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है लेकिन आज इससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। पहले जमींदार के मुलाजिम पहरा देने के लिये रहते थे लेकिन आज सरकार का एक भी चौकीदार वहां पहरा देने के लिये नहीं है इसलिये इससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। एक आदमी पानी ले लेता है और दूसरे को नहीं मिलता है। इसी प्रकार कजियानारा बांध से सैकड़ों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती थी लेकिन यह बेकार है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

हमारे इलाके में एक बाघ निकला है जिसने करीब २५० आदमियों को ६,७ महीने में खाया है। हम सुनते हैं कि यदि एक आदमी मारा जाता है तो एक राष्ट्र

दूसरे राष्ट्र से लड़ता है लेकिन यहां तो २५० आदमियों के मारे जाने की बात है। सरकार की जिम्मेदारी आज यह भी है कि बाघ से लोगों को बचाया जाय। सरकार की तरफ से कोई इन्तजाम होना चाहिये जिससे वह बाघ मारा जाय। आज वहां खेती पड़ी हुई रहती है, काम करने के लिए कोई नहीं जाता है और शाम के बाद कोई आदमी बाहर नहीं निकलता है, वहां का सभी रोजगार बन्द है।

श्री गंगानाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का और उसके प्रशासन का जो

उद्देश्य है समाजवादी शासन की व्यवस्था करनी इसमें हमें कोई शक नहीं है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस समाजवादी शासन व्यवस्था का समर्थन करनेवाली सरकार के हमलोग अनन्य मददगार और समर्थक हैं लेकिन इस प्रशासन में कुछ इस तरह के दूषण हमलोग पा रहे हैं और जो बढ़ता ही चला जा रहा है जिस तरह के दूषण ईस्ट इंडिया कंपनी के समकाल न पंजाब में और अवध की नवाबी में था। उन दूषणों का नतीजा प्रशासन में इतना बुरा हुआ कि उसका दुष्परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं उसी तरह आज भी हमारे इस समाजवादी व्यवस्था को माननेवाली सरकार के प्रशासन में उसी तरह के दूषण बढ़ते जा रहे हैं जो हमारे लिये बड़ी ही चिन्ता और अफसोस की बात है। हम इन दूषणों को देखकर बहुत दिनों से यह सोचते आते थे कि इसका आखिर परिणाम क्या होगा? उस वक्त जब अवध की नवाबी में दूषणों की भरमार थी, राजा रणजीत सिंह के लड़कों के राज्य में दूषणों की भरमार थी। और अगर कोई अवध के नवाबों और राजा रणजीत सिंह के लड़कों को कहता कि आपके प्रशासन में दूषण है, इसे संभालिये तो वे नवाब और राजे उसे समझने को तैयार नहीं होते, उसका नतीजा यह हुआ कि अवध की नवाबी में जनता ऊबी हुई थी और दूसरी ओर अंग्रेजों के प्रशासन में कुछ खूबियां उन्हें नजर आ रही थीं फलतः अवध और पंजाब पर अंग्रेजों की चढ़ाई होने पर अवध और पंजाब की जनता ने नवाबों और राजों की सहायता नहीं की और इस तरह देश गुलामी के गर्त्त में गिर गया।

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया)।

आज भी हमारा देश समाजवादी व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ रहा है, यह बहुत ठीक है, अच्छी चीज है लेकिन सरकारी व्यवस्था में दूषणों की वजह से इसकी हालत खराब होती जा रही है। आज कोई विदेशी शक्ति हमारे ऊपर चढ़ाई के लिये तैयार नहीं है लेकिन आपकी त्रुटियों से फायदा उठाकर आपकी जो व्यवस्था है उसके विपरीत आपकी व्यवस्था को खतम करके दूसरा संगठन आपके देश में खड़ा हो रहा है जिसको नगण्य समझना ठीक नहीं है। अगर आप अपने में चेतना नहीं लायेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी समाजवादी व्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी। एक लोकोक्ति है कि चिनगारी, रोग और दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिये। ये कितने ही छोटे क्यों हों इनसे हमेशे सजग और सावधान रहना चाहिये। आपकी समाजवादी व्यवस्था के के खिलाफ उसको चकनाचूर करने के लिये, मटियामेट करने के लिये एक बहुत बड़ा संगठन आपके मुल्क में हो रहा है। अगर आप अपनी खामियों की अवहेलना करते गये तो स्थिति आपकी बहुत ही खराब हो जायेगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। गत सत्र में हमारे माननीय सदस्य श्री रामेश्वर प्रसाद महथा जब भाषण दे रहे थे और भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे थे तब जैसा कि हमने सुना, हमारे उप-मंत्री श्री अम्बिका सिंह उठकर खड़े हो गये और उपेक्षा की हंसी हंसते हुए कहने लगे कि आज आप भ्रष्टाचार की बात क्या कर रहे हैं, यह तो बहुत पुरानी बात हो गई। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि भ्रष्टाचार की बात पर उन्होंने उपेक्षा की हंसी हंस कर सदन

केवल दो मिनट का समय बढ़ा दिया। भ्रष्टाचार की बात इतनी भयंकर है उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर यह आसमान बर्फ का हो, मकान भी बर्फ का हो, पंखा भी बर्फ का हो और उसमें उपमंत्री बैठें और पंखा खोल दिया जाय तो भी इस भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई स्थिति को देखकर, सुनकर हमारे माननीय उपमंत्री के शरीर से गाढ़ा पसीना चूना चाहिये था कि किस तरह इस भ्रष्टाचार का उन्मूलन करें लेकिन बजाय भ्रष्टाचार के उन्मूलन के रास्ता सोचने के वे उसका मखौल उड़ाते हैं। क्या ऐसी बात नहीं है कि १० हजार ईंट एकबार नाकाबिल कहकर छांट दी जाती है मगर साल दो साल पड़ी रहने के बाद वे ही ईंटें जब इंजीनियर का पाकेट गर्म कर दिया जाता है तो फर्स्ट क्लास की ईंट हो जाती हैं। यह चिन्ता की बात है या नहीं ? देश की किसी-किसी प्रतिद्वन्द्वी पार्टी को आप विदेशी आदर्श पर चलने वाली पार्टी कहकर उसके खिलाफ जनता में प्रचार करते आये थे, लेकिन अब आपके मुकाबले में एक ऐसी जबर्दस्त पार्टी खड़ी हो रही है जिसको आप विदेशी आदर्श पर चलने वाली पार्टी कहकर बदनाम नहीं कर सकेंगे और वह आपको परेशान कर देगी और फिर आप अपने को न बचा सकेंगे। शिक्षा की ही बात लीजिये। शिक्षा और शुल्क की क्या स्थिति है ? आप देखते हैं कि लड़का बड़ा होनहार है, एक क्लास से दूसरा क्लास, फिर तीसरा क्लास में जाता है, ग्रेजुएट होता है और उम्मीद की जाती है कि राष्ट्र का एक आदर्श नागरिक वह बनेगा लेकिन जब वह प्रशासन में आता है तो वह एक नम्बर का भ्रष्टाचार बन जाता है और हमारे प्रशासन को बढ़िया और सुदृढ़ बनाने के बजाय उसको और भी नष्ट-भ्रष्ट कर देता है। सेमल के फूल को बहुत लाल देखकर पक्षी उसको सेवता है इसलिये कि उसे बहुत सुन्दर फल मिलेगा लेकिन होता है कुछ दूसरा ही। उसी तरह आज की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित किये नवजवानों से हमारी निराशा हो रही है।

ऐसी समाजवादी व्यवस्था चलाने के लिए लोगों को नागरिक बनायेंगे लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से ये लड़के भी वैसे ही होते हैं जिसका रोना रोना होता है। इस बात को देखते हुए हमारे मंत्री ने कहा है कि यह भ्रष्टाचार नयी चीज नहीं, बल्कि पुरानी चीज है।

श्री रामानन्द सिंह—आपके लड़का कहने से किसका बोध होता है ?

श्री गंगानाथ मिश्र—आपकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जिस शिक्षा व्यवस्था को पाकर लड़के योग्य नागरिक नहीं बनते और योग्य नागरिक नहीं होने के कारण प्रशासन में करप्शन बढ़ता जा रहा है। आपकी शिक्षा में ही भ्रष्टाचार है लेकिन उसके लिये आपको चिन्ता नहीं है। इस शिक्षा के द्वारा आप समाजवादी व्यवस्था कायम नहीं कर सकते हैं। इसलिये पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाइये ताकि उसके द्वारा योग्य नागरिक पैदा हो सकें और आप उसके द्वारा प्रशासन चला सकें।

अब मैं अब के किसानों की हालत का वर्णन करता हूं। मैं देहात से आता हूं और उन्हीं देहात की जनता से सरोकार है। उनके दुख-दर्द को देखने का मौका मिलता है।

Shri RAMANAD SINGH : Sir, I rise on a point of order. While the debate is going on the Deputy Minister in-charge of the demand is talking and is busy otherwise.

उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि डिपटी मिनिस्टर सुन रहे हैं।

श्री गंगानाथ मिश्र—एक मिनिस्टर इन्डस्ट्रीज के हैं। उसके अन्दर यह विभाग है
लेकिन समझ में नहीं आता कि ये मंत्री कहां रहते हैं। उनको पता नहीं है कि ऊख
के किसानों की क्या हालत है। जितने गरीब किसान हैं वे एक कट्ठा, दो कट्ठा,
चार कट्ठा जमीन में ऊख बोते हैं और वे आशा करते हैं कि इसके द्वारा हम कपड़ा
खरीदेंगे, छठ आदि का त्योहार मनायेंगे। अमुक अमुक काम करेंगे। लेकिन बड़े-बड़े
किसानों का ऊख पहले कट जाता है उनको पहले चालान मिल जाता है और इन
गरीब किसानों को जिनके पास थोड़ा खेत है बड़ी परेशानी और दौड़ धूप के बाद अन्त
में चालान मिलता है। नतीजा यह होता है कि उनका आधा ऊख लोग खा जाते हैं
और वे चालान के लिए इधर-उधर मारे फिरते हैं। वे बेचारे प्रति चालान एक
रुपया, डेढ़ रुपया और तीन रुपया तक देकर चालान लाते हैं और अपनी ऊख मील
भेजते हैं। बड़े-बड़े किसान हैं उनको चालान पहले मिल जाता है। ऐसा भी होता
है कि जिनको पास एक भी पूरा खेत ऊख का नहीं है वे मील से बीज और खाद
लाते हैं और उसको बेचकर काम चलाते हैं। उनको चालान अधिक मिलता है और
वे उसको दो-दो तीन-तीन रुपया में बेचकर अपना काम बनाते हैं। इसलिए मैं
मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि जरा गरीब किसानों की तरफ ध्यान दीजिए।
आपको नहीं उनके पास हृदय है या नहीं है जिससे गरीब किसानों की ओर उनका ध्यान
नहीं जाता। वे बेचारे कितनी कठिनाई से दो चार कट्ठा ऊख बो पाते हैं। उनके
अन्न का अरमान है। उसकी ओर आपको ध्यान जाना चाहिए। ऐसा जब आप करेंगे
तब ही आप समाजवादी व्यवस्था कायम कर सकेंगे। आप उनको रिलीफ पहुंचाइये
अगर आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो जिस तरह लखनऊ के नवाबों और पंजाब के
रणजीत सिंह के लड़कों के राज्य खतम हो गये उसी तरह आप भी खतम हो जायेंगे।
इसलिये आप लापरवाही नहीं करें। गरीबों के दुख-दर्द पर ध्यान दें।

उपाध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। आपका दो मिनट समय बच गया।

श्री गंगानाथ मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, १९५८ से आज तक न बजट भाषण पर और न
गवर्नर ऐड्रेस पर मैं बोल सका हूं। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि बड़ी कठिनाई है। उनकी
बातों को सुनकर दया आती गयी। १९५८ में छोड़ दिया, १९५९ में छोड़ दिया और
आज १९६० में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे पास बहुत-सी चीजें हैं जो मैं
कहना चाहता हूं। इसलिए मुझे १ घंटा समय दिया जाय।

तो मैं कह रहा था कि ऊख की हालत यह है कि चकिया मील में ऐसे लोगों को
चालान मिलता है जिनके पास एक धूर भी खेत नहीं है और जिन्होंने चालान बेचने
का पेशा बना लिया है। सरकार इन चीजों की जांच करावे और निगरानी रखे।
ऐसे ही लोगों को बीज भी मिलता है जिनको पास खेत नहीं है और वे उसका रोजगार
करते हैं। ऐसा भी होता है कि जिसके पास चालान है और गाड़ी कांटे पर गयी है
तो उनको किसी कारणवश रुकी रहती है और उसको नहीं होता है और जिनके
पास चालान नहीं है उनकी गाड़ियां रुपये घूस दे देने पर फौरन तौल दी जाती है।
इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

अब मैं एक दफादार की बात कहता हूं जो लोगों के घरों में चोरी कराता है। लोगों में आतंक मचा रखा है। यह काम उसका वर्षों से चल रहा है। एक बार एक मुखिया रामविनय सिंह ने एस० डी० ओ० के यहां लिखकर दिया कि उनके क्षेत्र में ये (दफादार) लोगों को परेशान किये हुए हैं। इंक्वायरी के लिए जमादार को भेजा गया लेकिन उन्होंने क्या रिपोर्ट दी यह मालूम नहीं हुआ। उसके बाद एस० पी० जब उस गांव में आये तो लोगों ने कहा लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद दो सौ आदमियों ने एस० डी० ओ० को लिखकर दिया।

श्री शंभुनाथ ने जांच की या नहीं किसी को मालूम नहीं। दफादार रामाश्रय लाल के अत्याचार से लोग ऊब गये हैं। श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा और श्री बिकू राय ने अपना बयान दिया और काफी लोगों ने ज्वायंट पेटिशन दिया लेकिन न मालूम कागज कहां अंटक जाता है। मेरे पास एक लिस्ट है जिसको देखने से आपको मालूम होगा कि ५१ घरों में चोरी की गई और किन-किन घरों से कितना माल चुराया गया है, लेकिन उस दफादार के खेलाफ कुछ नहीं हुआ और सरकार ने कोई कारंवाई नहीं की।

जिला चम्पारण के चकिया इलाके में बनदरिया एक गांव है जिसमें ७२ आदमियों की जमीन है और वे लोग सब अपनी-अपनी मालगुजारी देते हैं। सब मिलाकर २०० प्लाट है लेकिन हालत यह है कि मालगुजारी कोई और देता है और खेत जोतता है कोई और। अबतक अपटुडेट मालगुजारी जिनलोगों ने दी है उनकी दरखास्तें किन-किन तिथियों को दी गयी उन्हें मैं बताता हूं। दिनांक २१ जनवरी १९५७ को एक, दिनांक ७ फरवरी १९५७ को तीन, दिनांक १८ फरवरी १९५७ को एक, दिनांक ६ मार्च १९५७ को एक, दिनांक ४ मार्च १९५७ को दो, दिनांक १० अप्रील १९५८ को तीन, दिनांक १७ अप्रील १९५८ को एक, दिनांक १८ अप्रील १९५८ को एक, और दिनांक २९ अप्रील १९५८ को एक दरखास्तें दी गईं। ये सब दरखास्तें अंचलाधिकारी चकिया को दी गयीं कि इन सब केसेज में इन्ट्री ठीक कर दें मगर वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। तब इसके बाद दिनांक २२ जून १९५९ को कलक्टर, चम्पारण को दरखास्तें दी गयी और उसी डेट में कमिश्नर को भी दरखास्तें भेजी गयी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मैंने दिनांक २७ अप्रील १९५९ और ३० अप्रील १९५९ को कलक्टर के पास लिस्ट बनाकर भेज दिया इस निवेदन के साथ कि उचित कारंवाई हो। ७२ आसामी कौन हैं और उनका खाता खेसरा नं० क्या है मैं इन सबका लिखित लिस्ट सरकार को अभी आपके सामने इस सदन में दाखिल कर रहा हूं कि सरकार अब भी इस पर उचित कारंवाई करें।

उपाध्यक्ष—लिखकर भेज दीजिएगा। अब आपका समय हो गया, बैठ जाइये।

श्री गंगानाथ मिश्र—मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं। जो आदमी आपकी बात मानकर अदब करता जाता है उसको आप बराबर कहते हैं कि छोड़ दीजिये बैठ जाइये। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा......।

उपाध्यक्ष—२० मिनट का समय आप ले चुके। अब आप बैठ जाइये।

*श्री हरदेव सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार के विरोध में जो क्रिटिसिज्म हुये हैं वे साधारणतः दो प्रकार के हैं, एक पॉलिसी और प्रोग्राम पर और दूसरी ऐड-मिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज पर। कुछ दिन पहले अधिकतर जो सरकार के विरुद्ध क्रिटिसिज्म

होती थीं उनका आधार ऐडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज और प्रशासनिक त्रुटियां थीं। लेकिन इधर कुछ दिनों से, साल छः महीनों से हमारी जो नीति है, हमारा जो प्रोग्राम है उसकी भी क्रिटिसिज्म होने लगी है। मैं मानता हूं कि इस विरोध का आधार भी प्रशासनिक त्रुटियां हो सकती हैं क्योंकि प्रशासन के जरिये जनता से जो वादे किये गये जनता तक पहुंचाने के लिये जो बातें की गयीं उन्हें हम उपरोक्त त्रुटियों की वजह से पूरा नहीं कर सके इसलिये आज हमारी यह हालत हुई कि जो पॉलिसी और प्रोग्राम हमारा था और जिससे ज्यादे से ज्याद लोग सहमत थे आज उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसलिये पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमने वादा किया कि देश का आर्थिक विकास करेंगे और इसके मोतल्लिक हमारी नीति हुई कि सोसलिस्टक पैटर्नऑफसोसाइटी के माध्यम से अपने देश में इस काम को हम पूरा करेंगे। आर्थिक विकास करने के बहुत तरीके हैं। हमने दुनियां के आर्थिक विकास के इतिहास की जानकारी के आधार पर तय किया कि सोशलिस्ट सिद्धांतों के अनुसार प्लैंड एकोनॉमी के जरिये हम इस काम को कर सकते हैं। देश की बहुत-सी पार्टियां इससे सहमत रहीं। दुनियां में लगभग १२० खरब डोलर सालाना की पैदावार होती है जिसमें ६० प्रतिशत इंडस्ट्रीयली विकसित देश पैदा करते हैं और २५ प्रतिशत सोशलिस्ट कैम्प के देश पैदा करते हैं और बाकी १५ प्रतिशत अर्द्ध-विकसित देश पैदा करते हैं। दुनियां की आबादी २ अरब ७९ करोड़ है जिसकी ४२ प्रतिशत आबादी अर्द्ध-विकसित देशों की है और २०.५ प्रतिशत सोशलिस्ट कैम्प के देशों की है और बाकी ३७.५ प्रतिशत कैपटलिस्ट देशों की है। इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया में दौलत की पैदावार के हिसाब से और जन संख्या के आधार पर हम कितने पीछे हैं। तो इस आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिये एक रास्ता तैयार किया गया जिसको सोच समझकर दुनियां के आर्थिक विकास के इतिहास को पढ़-कर हमलोगों ने तय किया कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी हम बनावें। जब हम कोई नया समाज बनाते हैं तो पुराने समाज की नींव ढहती है इसलिये जो भी राष्ट्र जल्द-से-जल्द प्रगति करना चाहता है उसको प्लैंड एकोनॉमी के जरिये ज्यादे से ज्यादे सरकार के हाथ में अख्तियार देना पड़ता है। आज हमारे खिलाफ जो आवाज उठती है सदन के भीतर या सदन के बाहर उसका आधार यही है कि सरकार ज्यादे से ज्यादे क्षेत्र को अपने कब्जे में करती जा रही है। लेकिन यह याद रखने की चीज है कि जो भी राष्ट्र जल्दी से आगे बढ़ता है उसको ज्यादे से ज्यादे क्षेत्र में अख्तियार सरकार के हाथ में देना पड़ता है। लेकिन जब हम ज्यादे से ज्यादे पावर अपने हाथ में लेते हैं तो हमारे लिये यह मुनासिब होता है कि हम अच्छे से अच्छे तरीके पर शासन को चलावें और जो वादा करते हैं लोगों के प्रति उसको पूरा करें।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने पुनः आसन ग्रहण किया)।

हमने फर्स्ट फाइव इयर प्लान और सेकेन्ड फाइव इयर प्लान बनाया और उनके माध्यम से बहुत-सी बातों को किया। लेकिन हमारा सेकेन्ड फाइव इयर प्लान अब पूरा हो रहा है और अर्थ की व्यवस्था क्या है? जो हमने सेकेन्ड प्लान में वादा किया था राष्ट्र को कि २५ प्रतिशत नेशनल इनकम को बढ़ावेंगे और १८ प्रतिशत 'पर-कैपिटा' इनकम को बढ़ावेंगे, क्या वह पूरा हुआ? इस प्लेन पेरियेड के अंत तक २५ प्रतिशत नेशनल इनकम बढ़ाने की बात थी, १८ प्रतिशत पर कैपिटा इनकम बढ़ने की बात थी और इसी तरह से १० लाख 'न्यू जौब्स क्रियेट' करने की बात थी लेकिन आज तीसरा वर्ष द्वितीय पंचवर्षीय योजना का बीत गया और इस बीच में सिर्फ १८ प्रतिशत नेशनल इनकम में वृद्धि हुई। लेकिन और दिशा में बिहार की हालत क्या है और बिहार कहांतक आगे

बढ़ा है ? अगर बिहार किसी दिशा में आगे बढ़ा है तो वह बैकवर्डनेस में। दूसरी तरफ आर्थिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर सेक्टर में और प्रोडक्शन बढ़ाने में तो देश के सभी प्रांतों से यह पीछे है। यहां के सभी लोग एग्रीकल्चर पर आश्रित हैं लेकिन उसमें और शिक्षा में हमारी प्रगति सबसे कम हुई है और हमारा फीगर सबसे कम है। ऐसा क्यों है? यह इस सरकार की नीति की वजह से है। इसके मूल में यह नीति काम कर रही है कि इस सरकार के चलानेवाले लोग देश और समाज के हित को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, पंडित नेहरू की नीति को आगे बढ़ाकर देश को सोशलिज्म की ओर नहीं ले जाना चाहते हैं बल्कि आज इस सरकार के चलानेवालों की नीति यह है कि वे कुछ अपने लोगों के हित को बढ़ाने के लिये कोई काम करते हैं। किसी भी डिमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो यह नीति होनी चाहिये कि—

"A democratic administration functions in the interest of the people and not of a class or section of the people".

लेकिन आज तो इस सरकार की नीति के मूल में यह होता है कि वह कुछ अपने लोगों के हित और फायदे के लिये ही बनती है और उसके अनुसार काम होता है। आज इस सरकार के चलाने वाले लोगों को समाज और स्टेट के लोगों की चिन्ता नहीं है बल्कि अपने कुछ लोगों के हित और फायदे की चिन्ता है। इस तरह की नीति के चलते आम समाज और देश में मतभेद फैलता है और उसका जहर लोगों में असर कर रहा है। आज इस सरकार में यह सबसे बड़ी कमी या त्रुटि है और इसके चलते आपस में फूट है और इस फूट का जहर समाज में भी फैल रहा है। इस तरह की बात को कहने का क्या आधार है, इसके लिये मैं आपके सामने दो-चार उदाहरण पेश कर देना चाहता हूं।

अध्यक्ष—आपको ४ बजे खत्म भी करना है।

श्री हरदेव सिंह—४ बजे तक तो नहीं खत्म हो सकता है लेकिन फिर भी आपकी जैसी मर्जी होगी, वैसा होगा।

बिहार सरकार के लेबर डिपार्टमेंट की ओर से केन्द्रीय सरकार को एक पत्र लिखा गया कि सिंदरी का मैनेजिंग डाइरेक्टर बिहारी होना चाहिये और भारत सरकार ने इस बात को मान भी लिया और इसके लिये यहां से एक योग्य व्यक्ति का नाम मांगा गया। एक बड़े अच्छे अफसर का नाम भेजा गया और उनके प्रति मेरी कोई शिकायत नहीं है लेकिन किसी कारण से भारत सरकार ने इस सरकार के उस नाम को मानने से रिफ्यूज कर दिया। आज कई महीने हो गये लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक किसी दूसरे अफसर का नाम नहीं भेजा गया है।

श्री केदार पाण्डेय—जरा नाम कह कर इस बात को साफ कर दिया जाय।

श्री हरदेव सिंह—मैं नाम नहीं बतला सकता हूं क्योंकि आप और हम सभी उस नाम को जानते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के लिये भी एक नाम केन्द्र से मांगा गया। कमर्शियल डिपार्टमेंट में बहुत से सिनियर अफसर पड़े हुए हैं और जिनका नाम भेजा गया वे उनसे अगर अच्छे नहीं हैं तो खराब भी नहीं हैं लेकिन एक ऐसे अफसर का नाम भेजा गया जिसको केन्द्रीय सरकार ने योग्य नहीं

माना। उनके लिये सबसे पहले इसकी कोशिश की गयी कि उनको आई० ए० एस० का सिनियर ग्रेड दे दिया जाय, लेकिन यह भी नहीं हुआ। इसके बाद उनके लिये यह किया गया कि नियम को तोड़ कर उन्हें फ्री हाउस दिया गया है और इस रूल को भी तोड़ दिया गया है कि जिसका एक हजार से ऊपर वेतन रहता है उसको डियरनेस एलाउन्स नहीं मिलता है लेकिन इनको रूल की अवहेलना करके डियरनेस एलाउन्स भी दिया गया है। इसी तरह से बिहार के एक बहुत बड़े साहित्यक आदमी हैं और जिनके प्रति मेरा प्रेम और आदर का भाव है, उनके लिये पेन्शन रूल को भंग किया गया है।

श्री रामगुनाम चौधरी—जब बातें कही जा रही हैं तब नाम क्यों नहीं कहा जाता है जिससे बात समझने में आसानी होती।

अध्यक्ष—जब आप एक स्पेसिफिक बात को कहना चाहते हैं तब नाम क्यों नहीं रखते हैं ताकि बात साफ हो जाय।

श्री हरदेव सिंह—मैं स्पेसिफिक बात को कह रहा हूं लेकिन नाम डाइभल्ज नहीं करना चाहता हूं।

श्री केदार पांडेय—इसमें दिक्कत यह हो जायगी कि मेन बात होने पर उसका जवाब देने में मैं असमर्थ हो जाऊंगा। क्योंकि कोई डिफिनिट बात कही जाती है तो उसका जवाब देने में आसानी होती है।

श्री हरदेव सिंह—मैं आप ही से नाम पूछता हूँ कि बरौनी के लिए कौन-कौन आफिसर का नाम भेजा गया है। और सिन्दरी टाउन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कौन-कौन औफिसर का नाम भेजा गया है। आज अवस्था ऐसी हो गई है कि शासन चलाने वाले अच्छे से अच्छे ऊपर के आफिसर के अन्दर एक भय आ गया है जिसकी वजह से वे खास लोगों को तरजीह देने के लिए उनका नाम भेजा करते हैं।

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिन्दरी टाउन एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट डेढ़ साल हुए एबौलिश कर दिया गया है।

श्री रामगुनाम चौधरी—जब सरकार कहती है कि स्पेसिफिक बात किया करें तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को नाम सदन में बता देना चाहिये।

अध्यक्ष—माननीय उप-मंत्री ने इस बात को साफ कर दिया है कि सिन्दरी टाउन एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट डेढ़ साल हुए एबौलिश हो गया है तो इसके लिए नाम भेजने की कोई जरूरत नहीं है।